

डिक्री वमुकदमें ईवतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 116/2024

नवनीत सिंह पुत्र लखवीर सिंह जाति जटसिख साकिन मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. बलविन्द्र सिंह पुत्र हाकम सिंह
2. लखवीर सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह
3. चरणजीतकौर पुत्री बलविन्द्र सिंह
4. नवदीप कौर पुत्री लखवीर सिंह
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
6. शाखा प्रबंधक ओबीसी दीनगढ़

जाति जटसिख साकिन मोरजण्ड सिखान
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इन्फोर्मल कलई रूबरू हमारे बहाजरी श्री एसएस खोसा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री गोविन्द सिंह वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 7 एमजेडी के खाता संख्या 82/49 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 मे प्रतिवादी संख्या 1 बलविन्द्र सिंह पुत्र हाकम सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी नवनीत सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज..........नल..........मुब्लिक..........निल..........बाबत..........निल..........खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..........
अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27.6.2024 को जारी किया गया।



(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया